संख्या:55/2018/1230जेएल/22-3-18-100(23)/2014टी0सी0

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2018***

विषय: जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र श्री रामबृक्ष सिंह को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-21159/सामा-1(3)/गो0परि0/(टी-44)2018, दिनांक 11-06-2018 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र श्री रामबृक्ष सिंह को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:55/2018/1230जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर/इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर/इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर एवं वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in